यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून के माह 09/2017 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संदीप चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री विश्व प्रकाश सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 30.09.2020 से 07.10.2020 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजकुमार (ले.प्.), श्री खुशीराम (व्.ले.प्.), सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.09.2017 से 18.09.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें माह 09/2013 से 08/ 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

रैम्य ऋषिकेश एवं प्राचीनकाल से ऋषिकेश और कुब्जम्रक तीर्थ के नाम से विख्यात पुण्यभूमि ऋषिकेश के पर्वतीय क्षेत्रों की उच्चशिक्षा की पूर्ति हेतु महाविद्यालय की स्थापना निमित्त प. ललित मोहन शर्मा ट्रस्ट ऋषिकेश द्वारा ₹49.02 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश शासन को दान स्वरुप दी गई, जिसके फलस्वरूप शासनादेश संख्या 3591/15-73-(11)-12 (40)/72 दिनांक 22.08.1973 के द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की गई, इस संस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 72 हरिद्वार हाईवे पर स्थित है जो की विकास खण्ड डोईवाला जनपद देहरादून की ऋषिकेश तहसील के अंतर्गत आता है । इस संस्थान से उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी की दूरी 290 किमी. है ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	**-**	1066.91	1066.85				0.06
2018-19	-	**-**	1062.51	1060.26				2.25
2019-20	**-**	**--**	64.44	64.30				0.14
2020-21 (08/20)	-	-	14.68	14.68				-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2018-19	**राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान**		90.00	78.00		12.00

(ii) इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव उच्च शिक्षा (उत्तराखण्ड) देहरादून
2. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड नावाड खेड़ा हल्द्वानी
3. प्राचार्य
4. अध्यापक संवर्ग

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अप्रैल 2018, जुलाई 2019, व जुलाई 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 19 एवं कंपनी एक्ट 2013 की धारा 143 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -II 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके ₹ 55 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखा जाना ।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार यदि कोई तीन वर्ष पश्चात् तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो ये राशि व्यपगत कर दी जाएगी व बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
कॉलेज की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि विगत तीन वर्षों में मात्र 10 छात्रों को ही काशन मनी (**₹** 2800/-) वापस की गयी । छात्र शुल्क में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 20 जून 2017 में लिए गए निर्णयानुसार , महाविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 से कोई काशन मनी नही ली गयी । जिसका विवरण निम्नवत है

<u>काशन मनी छात्र निधि का लेखांकन</u> (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक)

अवधि	प्रा. शेष	शुल्क प्राप्ति	शुल्क वापसी	अर्जित ब्याज	वर्तमान शेष
2017-20	**₹467**7038	**शून्य**	**₹2800**	**₹632253**	**₹**530649**1**

उपरोक्त तालिका एवं विवरण से स्पष्ट है कि काशन मनी के रूप में छात्रनिधि का उपयोग छात्राओं के कल्याणकारी कार्यो मे न करके उक्त धनराशि को अवरुद्ध रख , महाविध्यालय द्वारा ब्याज प्राप्त हेतु उपयोग किया जा रहा है । आगे जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय दिवस निधि मे विगत 3 वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी ।

<u>महाविद्यालय दिवस छात्र निधि का लेखांकन</u> (वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक)

अवधि	प्राप्त शुल्क	अर्जित बयाज	व्यय	शेष
2017-20	191480	**9946**	**126 (बैंक द्वारा कटौती)**	**201300**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में छात्रनिधि खातो में जमा बचत को महाविद्यालय द्वारा छात्र कल्याण निधि बनाने हेतु कार्यवाही की जाएगी ।

अतः छात्रनिधि का उपयोग छात्रों के कल्याणकारी कार्यो मे न करके **₹** 55 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखा जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-2 लेबर सेस के रूप में कार्यदाई संस्था को अधिक भुगतान रुपये 1.19 लाख ।

The Building & Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 is complementary to the Building & Other Construction Workers which has been enacted with a view to provide for levy and collection of Cess on the cost of construction incurred by the employers.

इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ (सामान्य वर्ग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 9755 एम.टी./ सामान्य वर्ग/ 40 एम.टी.- 45 / 2017 दिनांक 19.12.2017 में 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन द्वारा बिड डाक्यूमेंट में लेबर सेस की देयता के सम्बन्ध में व्यवस्था पुर्णतः स्पष्ट है, जिसके अनुसार लेबर सेस के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का है । उक्त के क्रम में एतदद्वारा आदेश दिए गए थे कि, कर्मकार उपकर की कटौती ठेकेदारों के बिलों से की जाये एवं समस्त समावेशी अनुबंधों में कर्मकार उपकर के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जाये । साथ ही उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना उल्लेखित था ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, महाविद्यालय द्वारा CONSTRUCTION OF PROPOSED BUILDING & RENOVATION WORK AT GOVERNMENT DEGREE COLLAGE RISHIKESH DISTT- DEHRADUN निर्माण कार्य "परियोजना" के Detailed Project Report में रुपये 133.10 लाख के निर्माण कार्य पर एक प्रतिशत की दर से लेबर सेस की गणना कर रुपये 1.19 लाख की धनराशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान कार्यदाई संस्था- BRIDGE, ROPEWAY,TUNNEL AND OTHER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD. को किया गया था जवकि उपरोक्त नियम एवं भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार लेबर सेस की देयता का दायित्व ठेकेदार का है । तदनुसार लेबर सेस की धनराशि को निर्माण कार्य की लागत में जोड़कर कार्यदाई संस्था को भुगतान किया जाना अनियमित एवं उपरोक्त नियम तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की अवहेलना थी । इस प्रकार रुपये 1.19 लाख की संस्थान की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि,निर्माण कार्य सम्बन्धी नियमों की जानकारी के अभाव में कर्यदाई संस्था द्वारा दिए गए आगणन के अनुसार ही कर्यदाई संस्था को भुगतान किया गया ।

अतः कार्यदाई संस्था को लेबर सेस के रूप में 1 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किये जाने के कारण रुपये 1.19 लाख की शासकीय धन की हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

ए.एम.जी.-I/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-38/2020-21

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> faculty-Student के अनुपात के सम्बन्ध में यूजीसी के मानको का उल्लंघन एवं विषय विशेष मे प्रवक्ता का पद रिक्त होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश दिया जाना ।

1- यूजीसी के दिशानिर्देश 2017 के बिन्दु संख्या 4.1 (vii) के अनुसार faculty Student का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए तथा Part time faculty को इसमे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु महाविध्यालय मे विगत तीन वर्षों में औसतन कोर्स बी.ए. में 1:111, बी.कॉम. में 1:180 एवं बी.एस.सी. में 1: 75 का अनुपात था जो कि यूजीसी के मानको के अनुसार बहुत कम है । अतः उक्त पाठ्यक्रमो में प्रवक्ता की अत्यधिक कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता एवं छात्रों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

2- समान्यतः विषय विशेष मे प्रवक्ता की उपलब्धता के बाद ही छात्रों को संबन्धित विषय मे प्रवेश दिया जाना चाहिए या सत्र के बीच मे प्रवक्ता का पद रिक्त होता है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए । महाविध्यालय के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि भूगर्भ समिति के विषय मे प्रवक्ता के तीन पद स्वीकृत थे परंतु उक्त विषय के प्रवक्ता का पद विगत 3 वर्षो से रिक्त था उपरोक्त स्थिति के बाबजूद उक्त विषय मे छात्रो को प्रवेश दिया गया जिसकी स्थिति निमन्वत है-

सत्र	**स्नातक**	**स्नातकोत्तर**	**कुल छात्र**
2017-18	**57**	**28**	**241**
2018-19	**57**	**28**	**85**
2019-20	**219**	**23**	**242**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाविध्यालय द्वारा न तो यूजीसी के मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही इसमें पठित छात्रों के भविष्य के मद्देनज़र शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कोई प्रयास किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार करते हुए कहा गया कि भविष्य में इसका संज्ञान लिया जायेगा ।

अतः faculty-Student के अनुपात के सम्बन्ध में यूजीसी के मानको का उल्लंघन एवं विषय विशेष मे प्रवक्ता का पद रिक्त होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश दिया जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
79/2017-18	----	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---------- शून्य ----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः विगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या**

2.**सतत् अनियमितताएः**---------- शून्य ----------

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा. एन. पी. महेश्वरी	प्राचार्य	03.06.2017 से 31.12.2019
2.	डा. सुधा भारद्वाज	प्राचार्य	06.01.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़,-248195 देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-I